

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर०ए०एस

मुकदमा नं० 04/2022

लादूराम मानवताल पुत्र गंगाराम जाति मीणा नि० आसलपुर तह० सांभरलेक वर्तमान
जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. लादूराम पुत्र दौलतराम
2. झूथाराम पुत्र दौलतराम मृतक के बजाय
 - 2/1 रामलाल पुत्र स्व० झूथाराम
 - 2/2 पोखरमल पुत्र स्व० झूथाराम

समस्त जाति कुम्हार नि० आसलपुर हाल नि० 94 लाईन्स लेन पांच्यावाला 200 फुट
बाईपास जयपुर

- 2/3 हरिश पुत्र झूथाराम
- 2/4 सीतादेवी पत्नि स्व० झूथाराम
- 2/5 संजय पुत्र स्व० झूथाराम
- 2/6 कविता पुत्री स्व० झूथाराम

समस्त जाति कुम्हार नि० आसलपुर हाल नि० जी-1 जानकी विहार धामास रोड
जयपुर

3. शंकरलाल पुत्र दौलतराम

जाति कुम्हार नि० आसलपुर तह० सांभरलेक वर्तमान जोबनेर जिला जयपुर।

4. रामकरण पुत्र भूरा मृतक के बजाय
 - 4/1 जगदीश पुत्र स्व० रामकरण
 - 4/2 नारायण पुत्र स्व० रामकरण
 - 4/3 किशनलाल पुत्र स्व० रामकरण
 - 4/4 लक्ष्मण पुत्र स्व० रामकरण
 - 4/5 सकरामा पुत्र स्व० रामकरण
 - 4/6 कानी पत्नि स्व० रामकरण

समस्त जाति जाट नि० आसलपुर तह० सांभरलेक वर्तमान जोबनेर जिला जयपुर।

- 4/7 केसरदेवी पुत्री स्व० रामकरण पत्नि भोलूराम जाति जाट नि० नोदलों की ढाणी
आसलपुर तह० जोबनेर
- 4/8 मंजूदेवी पुत्री स्व० रामकरण पत्नि रामचन्द्र जाति जाट नि० मोहन का बास तह०
कि०रेनवाल जिला जयपुर
- 4/9 रूकमादेवी पुत्री स्व० रामकरण पत्नि मदनलाल जाति जाट नि० हिरनोदा तह०
फुलेरा जिला जयपुर



- 4/10 सीतादेवी पुत्री स्व० रामकरण पत्नि प्रभुदयाल जाति जाट नि० हिरनोदा तह० फुलेरा जिला जयपुर
- 4/11 लालीदेवी पुत्री स्व० रामकरण पत्नि सरदारमल जाति जाट नि० रणजीपुरा तह० कि०रेनवाल जिला जयपुर
5. रामचन्द्र पुत्र भूरा जाति जाट नि० आसलपुर तह० जोबनेर जिला जयपुर
6. पेमाराम पुत्र नारायणलाल
7. गुल्लाराम पुत्र नारायण
8. रामकरण पुत्र नारायण
9. सुखाराम पुत्र नारायण
- समस्त जाति जाट नि० आसलपुर तह० जोबनेर जिला जयपुर
10. रामचन्द्र पुत्र हरिनारायण जाति कुमावत नि० आसलपुर तह० जोबनेर जिला जयपुर
11. तहसीलदार तहसील जोबनेर
12. अभिषेक चौधरी पुत्र सुखाराम
13. भंवरलाल पुत्र सुखाराम

समस्त जाति जाट नि० आसलपुर तह० जोबनेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर०टी०ए० एक्ट

1. श्री रामसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मीनारायण कलवाणियां अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
3. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10



निर्णय

दिनांक :- 29.08.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर०टी० एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 688/2, 689/2 वाकै ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर में स्थित है। जिसमें आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी अपनी आराजी में जाने हेतु छोटा व सुगमता का रास्ता खसरा नंबर 682 की आराजी की उत्तरी मेड में से होकर है जो उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आता जाता है परन्तु वर्तमान में उक्त खसरा नंबर 682 के खातेदारान उक्त रास्ते से जाने में व्यवधान करने लग गये है उक्त आराजीयात के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है इसलिए प्रार्थी खसरा नंबर 682 की उत्तरी मेड से होकर अपनी आराजी में जाने हेतु 10 फुट चौड़ा रास्ता चाहता है जिसके लिए उक्त रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस की गयी। अप्रार्थी सं० 1 लगा० 10 के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

दिनांक 19.06.2014 को स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 688/2, 689/2 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 682 की उत्तरी मेड से होकर 10 फुट चौड़ा रास्ता कायम करने तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि जो दो बिस्वा होती है की डी0एल0सी0 रेट के हिसाब से दुगनी राशी राजकोष में जमा कराने के आदेश प्रदान किये गये।

तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 6 लगा0 9 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 रूल 13 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 दिनांक 20.10.2014 को स्वीकार होने पर पत्रावली अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 9 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियत की गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व धारा 6 रूल 17 जा0दी0 स्वीकार होने पर संशोधित शीर्षक पेश किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिए अखबारा साया की गयी। अप्रार्थी संख्या 4/6 लगायत 4/11, 5, 6 के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1, 2/1 लगायत 2/6, 4/1 लगायत 4/5, 7 लगायत 10 मय अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आए। अप्रार्थी संख्या 12 व 13 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 स्वीकार किये जाने पर इन्हें बतौर पक्षकार मुकदमा कायम किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 व 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2/1 लगायत 2/6, 4/1 लगायत 4/5, 7 लगायत 9 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 688/2, 689/2 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 682 रकबा 1.8335 हैक्टेयर में से उत्तरी मेड में से होकर 10 फुट चौड़े रास्ते की मांग की है। जब कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 688/2, 689/2 में आने जाने का सुगम रास्ता उक्त भूमि के पश्चिम में स्थित खसरा नम्बर 909, 910/1 वाके ग्राम आसलपुर पटवार हल्का आसलपुर तहसील जोबनेर जो सीधा सडक में जाकर मिलता है जो नजदीकी रास्ता है जिसको प्रार्थी ने जानबुझकर जाहिर नहीं किया है व अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 682 में से रास्ता चाहा है वह तिरछा है एवं निकटतम रास्ता नहीं है प्रार्थी की आराजी के सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 909, 910/1 जो सीधा प्रार्थी की आराजी में जाकर मिलेगा। आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर पत्र गलत आधारों पर पेश किया है जो खारीज योग्य है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 688/2, 689/2 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 682 की उत्तरी पश्चिमी कोहने की सीव मेड के सहारे-सहारे न तो पूर्व में कभी रास्ता था न वर्तमान में कोई रास्ता चालू है और ना ही पूर्व में कभी रास्ता रहा और न ही वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता है प्रार्थी ने अप्रार्थी की उक्त भूमि पर में से कभी रास्ता के लिए आवागमन नहीं किया है।

खसरा नम्बर 688/2, 689/2 में आवागमन हेतु पश्चिम दिशा में स्थित खसरा नम्बर 909, 910/1 में से रास्ता चालू है जो मुख्य आसलपुर की सडक में जाकर मिलता है इस प्रकार प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 909, 910/1 में से निकटतम रास्ता

है। आराजी खसरा नम्बर 909, 910/1 जो प्रार्थी की आराजी के पश्चिम में स्थित है ओर रोड के लगवा है से सीधा रास्ता है जिससे प्रार्थी सुगमता से आवागमन कर सकता है। प्रार्थी ने अपनी आराजीयात में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 682 की उत्तरी पश्चिमी सींव के सहारे सहारे रास्ता 10 फुट चौड़ा मार्क कायम करने का निवेदन किया है जिसका वह कतई अधिकारी नहीं है क्योंकि खसरा नम्बर 682 की उत्तरी पश्चिमी सींव के सहारे सहारे न तो कभी रास्ता रहा है न आने जाने के उपयोग में लिया न मौके पर कोई रास्ता है न कभी आवागमन किया प्रार्थी की आराजी के पश्चिम में स्थित खसरा नम्बर 909, 910/1 जो मुख्य आसलपुर रोड के लगवा है में से सीधा रास्ता चालू है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है महज अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 682 में विधि विरुद्ध रास्ता के लिये आवेदन किया है जिसका वह अधिकारी नहीं है एवं धारा 251 ए रा.टी.ऐक्ट के प्रावधानों के विपरीत है अतः प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। आवेदकगण ने महज अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने व उसकी खातेदारी की आराजी में से जबरन रास्ता लेने की गरज से मौके की स्थिति के विपरीत तथ्य जाहिर कर यह आवेदन किया है जो खारीज योग्य है। प्रार्थी ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 688/2, 689/2 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 682 रकबा 1.8335 हैक्टेयर में से उत्तरी पश्चिमी मेड में से होकर 10 फुट चौड़े रास्ते की मांग की है। जब कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 688/2, 689/2 में आने जाने का सुगम रास्ता उक्त भूमि के पश्चिम में स्थित खसरा नम्बर 909, 910/1 वाके ग्राम आसलपुर पटवार हल्का आसलपुर तहसील जोबनेर में से जो सीधा सडक में जाकर मिलता है जो नजदीकी रास्ता है जिसे प्रार्थी ने जानबुझकर जाहिर नहीं किया है व अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 682 में जो रास्ता चाहा है वह तिरछा है एवं निकटतम रास्ता नहीं है प्रार्थी की आराजी के सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 909, 910/1 जो सीधा प्रार्थी की आराजी में जाकर मिलेगा। आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया है जो खारीज योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या 4/6, से 4/11 तक अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार वर्तमान में अंकित नहीं है उनका उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है एवं अप्रार्थी नम्बर 5, 6 ने अपने हिस्से का बेचान कर दिया है क्रेता आवश्यक पक्षकार है ऐसी स्थिति में प्रकरण में नोन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स आरिज है बिना पक्षकार कायम कराये प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। पटवारी हल्का ने मौके की सही स्थिति का नजदीकी रास्ते की जांच किये बिना मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट पेश की है जिससे अप्रार्थीगण सहमत नहीं है निकटतम रास्ते के संबंध में पक्षकारान की मौजूदगी में मौका देखा जाकर रिपोर्ट मंगाया जाना आवश्यक है ताकी सही स्थिति निकटतम रास्ते की न्यायालय के समक्ष आ सके।

अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी ने अपनी आराजी ख0नं0 688/2, 689/2 में आने

जाने हेतु अप्रार्थी सं० 10 व अन्य खातेदारों की आराजी खसरा नं० 682 की उत्तरी मेड से रास्ते की मांग की है जबकि प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु निकटतम रास्ता अप्रार्थी संख्या 10 की भूमि में से न होकर खसरा नं० 909, 910/1 वाके ग्राम आसलपुर तह० जोबनेर में से होकर है इसलिए प्रार्थना पत्र एक्ट की धारा 251ए की मूल भावना के अनुसार नहीं होने के कारण खाजिर किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 10 की भूमि में से प्रार्थी का रास्ता न तो पूर्व में कभी चालु रहा है और नही वर्तमान में है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान जमाबंदी के अनुसार कई काश्तकारों को पक्षकार कायम नहीं किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1, 2/1 लगायत 2/6, 4/1 लगायत 4/5, 7 लगायत 10 की ओर तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2013 पर आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि तहसीलदार फुलेरा द्वारा खसरा नंबर 688/2 व 689/2 वाके ग्राम आसलपुर तहसील फुलेरा हाल जोबनेर के लिए चाहे गये रास्ते की रिपोर्ट कतई गलत पेश की गयी है। पटवारी हल्का ने तहसीलदार फुलेरा के आदेश से जो रास्ते की मौका रिपोर्ट बनायी है उसमें सबसे नजदीकी रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 682 में कतई गलत बताया गया है जबकि खसरा नंबर 688/2 व 689/2 के लिए सुगमता पूर्वक रास्ता है व नजदीक रास्ता खसरा नंबर 909 व 910/1 की आराजी में से है। लेकिन पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण से मिलीभगत करते हुये अप्रार्थीगण की खसरा नंबर 682 में नजदीक होना गलत रूप से दर्ज कर दिया है तथा रास्ते के संबंध में मौके पर जा जा नहीं गये थे केवल पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने ही मौका देखा है और मौका रिपोर्ट में सही वस्तुस्थिति अंकित नहीं की गई है। इसलिए उक्त प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की आज्ञा प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 1, 2/1 लगायत 2/6, 4/1 लगायत 4/5, 7 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर तहसीलदार जोबनेर द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 25.11.2024 को मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खसरा नं० 689/2, 688/2 के लिए खसरा नंबर 682 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ ख०नं० 689/2 की दक्षिणी सीमा अपने खेत तक पहुंच हेतु 10 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नंबर 682 की पश्चिमी सीमा की तरफ गे०मु० सडक है जो ग्राम आसलपुर से रेल्वे स्टेशन आसलपुर तक जा रही है। वर्तमान में उक्त रास्ता चालु है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते से लगवा ख०नं० 682 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ ख०नं० 689/2 की दक्षिणी सीमा प्रार्थी के खेत तक पहुंच तक रास्ता चाहा गया है जिसकी लम्बाई 80 मीटर है। ग्राम

आसलपुर के ख0नं0 910/1 दक्षिणी पूर्वी सीमा जो की गे0मु0 रास्ता (आसलपुर से रेल्वे स्टेशन सडक) से लगती हुई है। जिससे व ख0नं0 909 की दक्षिणी सीमा से लगते हुए खसरा नंबर 689/2 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा की तरफ जिसको नजरी नक्शे में बिन्दू "सी" से "डी" दर्शाया गया है उक्त रास्ते की लम्बाई 78 मीटर है जो कि वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। उक्त वाद में उपखण्ड कार्यालय सांभरलेक के आदेशानुसार दिनांक 19.06.2014 द्वारा 0.02 बिस्वा भूमि रास्ते कायम कर गे0मु0 रास्ता की तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश हो रखे है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की राशि रूपये 46,492/- दिनांक 28.07.2014 द्वारा तहसील कार्यालय फुलेरा में जमा करा दिये गये है। वर्तमान में वादी के लिए कोई रास्त उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी के लिए रास्त की आवश्यकता है। चोह गये रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से संबंधित नहीं है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर किसी बैंक या संस्था के रहन नहीं है। प्रस्तावित चाहे गये रास्ते की भूमि ख0नं0 682 में से है। उक्त चाहे गये रास्ते की लम्बाई 80 मीटर है। प्रस्तावित चाहे गये रास्ते का रकबा 80 मीटर गुणा 3.0488 मी0 (चौडा प्रार्थी द्वारा चाहा गया 10 फुट रास्ता) = 243.904 वर्गमीटर रकबा 0.0242 हे0 होता है। खसरा नंबर 689/2 रास्ते के लिए खसरा नंबर 910/1 व 909 में से रास्ते की लम्बाई 78 मीटर है जो वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। वैकल्पिक रास्ते का रकबा 78 मी गुणा 3.0488 मी0 = 237.8064 वर्गमीटर रकबा 0.0238 हे0 होता है। प्रस्तावित रास्ता वैकल्पिक रास्ते से 2 मीटर अधिक है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0ए0 के तहत अपनी आराजीयात खसरा नंबर 688/2 एवं 689/2 में पहुंच हेतु दिनांक 22.01.2013 को तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक यहां प्रस्तुत किया गया था। परन्तु लगभग 12 वर्षों का समय व्यतित हो जाने के उपरान्त भी प्रार्थी को अपनी अराजीयात पर पहुंच हेतु रास्ता नहीं मिल पाया है। तहसीलदार महोदय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु रास्ता आवश्यक बताया गया है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना अंकित किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट में अन्य मार्ग जो वैकल्पिक हो सकता है तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में मात्र 02 मीटर का अन्तर होना अंकित किया गया है, जो बहुत ज्यादा अन्तर नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गे0मु0 रास्त दर्ज किये जाने के आदेश पारित फरमावें। किया तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीया द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अनुरूप नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटम नहीं है, जो तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है।

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थी द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 688/2 एवं 689/2 वाकै ग्राम आसलपुर में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 682 वाकै ग्राम आसलपुर से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी के खसरा नं० 689/2, 688/2 के लिए खसरा नंबर 682 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ ख०नं० 689/2 की दक्षिणी सीमा अपने खेत तक पहुंच हेतु 10 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नंबर 682 की पश्चिमी सीमा की तरफ गे०मु० सडक है जो ग्राम आसलपुर से रेल्वे स्टेशन आसलपुर तक जा रही है। वर्तमान में उक्त रास्ता चालु है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते से लगवा ख०नं० 682 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ ख०नं० 689/2 की दक्षिणी सीमा प्रार्थी के खेत तक पहुंच तक रास्ता चाहा गया है जिसकी लम्बाई 80 मीटर है। ग्राम आसलपुर के ख०नं० 910/1 दक्षिणी पूर्वी सीमा जो की गे०मु० रास्ता (आसलपुर से रेल्वे स्टेशन सडक) से लगती हुई है। जिससे व ख०नं० 909 की दक्षिणी सीमा से लगते हुए खसरा नंबर 689/2 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा की तरफ जिसको नजरी नक्शे में बिन्दू "सी" से "डी" दर्शाया गया है उक्त रास्ते की लम्बाई 78 मीटर है जो कि वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। उक्त वाद में उपखण्ड कार्यालय सांभरलेक के आदेशानुसार दिनांक 19.06.2014 द्वारा 0.02 बिस्वा भूमि रास्ते कायम कर गे०मु० रास्ता की तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश हो रखे है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की राशि रुपये 46,492/- दिनांक 28.07.2014 द्वारा तहसील कार्यालय फुलेरा में जमा करा दिया गया है। वर्तमान में वादी के लिए कोई रास्त उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी के लिए रास्त की आवश्यकता है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 के अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 688/2, 689/2 में पहुंच हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 909 की दक्षिणी सीमा से लगते हुए खसरा नंबर 689/2 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम मार्ग नहीं हो सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए की मंशा काश्तकार को अपनी आराजीयात तक पहुंच हेतु निकटतम मार्ग उपलब्ध कराने की है, परन्तु तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग में मात्र 02 मीटर का अन्तर है, जो कि एक बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग दिये जाने पर अप्रार्थीगण को कोई क्षति होना भी प्रतीत नहीं होता है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 2013 से लम्बित है तथा वर्तमान में प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात पर पहुंच हेतु कोई रास्ता

उपलब्ध नहीं है, जिससे काश्तकार को असुविधा का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 688/2, 689/2 तक पहुंच हेतु प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 25.11.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 682 में से प्रार्थी के खसरा संख्या 688/2 एवं 689/2 तक पहुंच हेतु 80 मीटर लम्बा एवं 10 फुट चौड़ा अर्थात् 0.0242 हे० {80 X 3.0488 मी० (चौड़ा प्रार्थी द्वारा चाहा गया 10 फुट रास्ता) = 243.904 वर्गमीटर रकबा 0.0242 हे०} दर्ज किये जाने के आदेश दिये पारित किये जाना न्यायोचित प्रतीत है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर०टी०एक्ट० स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते है कि मौका रिपोर्ट एवं राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प./03(52)राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के हेतु खातेदार की भूमि तक पहुंचने के लिए लघुतम/निकटतम मार्ग जो 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं हो को कृषि भूमि की दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर आराजी खसरा नम्बर 682 वाकै ग्राम आलपुर तह० जोबनेर में से प्रार्थी के खसरा संख्या 688/2, 689/2 तक पहुंच हेतु 80 फिट लम्बाई एवं 10 फिट चौड़ाई अर्थात् 0.0242 हे० रास्त रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 में दर्शाये गये बिन्दू 'ए' से 'बी' के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 निर्णय के साथ जुज रहेगी। तहसीलदार जोबनेर दिये जाने वाले रास्ते की भूमि की गणना कर प्रार्थी द्वारा पूर्व में तत्कालिन तहसीलदार फुलेरा के यहां जमा राशि एवं प्रचलित वर्तमान डीएलसी रेट के अनुसार गणना कर राशि के अन्तर की दुगनी राशि जमा करेंगे तथा पूर्व में जमा राशि एवं वर्तमान में प्रचलित डी०एल०सी० रेट के अनुसार अन्तर की जमा राशि अप्रार्थीगण को नियमानुसार अदा करेंगे एवं राजस्व रिकार्ड में दिनांक 25.11.2024 की रिपोर्ट के अनुसार गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Neha
नेहा अराठी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर